#### बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग

#### ।। अधिसूचना ।।

पटना-15, दिनांक- 14-12-201₹

सं० −3⁄एम− 114 ⁄2010...*15*983. ⁄ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 [समय-समय पर यथा संशोधित] के नियम --31 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार निम्नलिखित विनियमावली बनाती है–

 <u>नाम, विस्तार एवं प्रारम्म</u> – (1) यह विनियमावली 'बिहार सरकारी सेवकों के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन विनियमावली, 2017' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत होगी।

• 7

. .

2. आरोप पत्र का गठन।– अनुशासनिक प्राधिकार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियममावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–17 के उपनियम (3) के अधीन सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट आरोप–पत्र अभिलिखित करेगा या अभिलिखित करवायेगा।

3. आरोप का प्रारूपण I-- (1) आरोप पत्र चार भाग में होगा।

(2) प्रथम भाग में संबंधित सरकारी सेवक की व्यक्तिगत सूचनाएँ अभिलिखित की जायेगी।

(3) द्वितीय भाग में अवचार या कदाचार के लांछनों का सार, एक सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट आरोप के रूप में अन्तर्विष्ट होगा।

(4) तृतीय भाग में आरोप के प्रत्येक मद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन अन्तर्विष्ट होगा, जिसमें सरकारी सेवक द्वारा की गयी कोई स्वीकृति या संस्वीकृति सहित, सुसंगत तथ्यों का एक अभिकथन अन्तर्विष्ट रहेगा।

(5) चतुर्थ भाग में उन दस्तावेजों की एक सूची तथा उन साक्षियों की एक सूची, जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो, अन्तर्विष्ट रहेगा।

(6) सुलभ उदाहरण हेतु एक काल्पनिक आरोप पत्र परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।

4. निरसन एवं व्यावृति।— (1) अधिसूचना संख्या— 322 दिनांक— 31.01.2011 द्वारा अधिसूचित "बिहार सरकारी सेवकों के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन विनियमावली, 2011" एतद द्वारा निरसित की जाती है।

(2) किन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में निर्गत विनियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई, इस विनियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जायेगा या समझी जाएगी मानो यह विनियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजेन्द्र रोम)

٠.

सरकार के अपर सचिव। ज्ञापांक –3 / एम–114 / 2010सा0प्र0–<u>15983</u> / पटना–15, दिनांक <u>14-12-</u>2017

प्रतिलिपि – ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को, बिहार, पटना राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(1) (1) (1)

(राजेन्द्र रोम) \ सरकार के अपर सचिव। ज्ञापांक –3 / एम–114 / 2010सा0प्र0–<u>15983</u> / पटना–15, दिनांक <u>14–12-2017</u> प्रतिलिपि – सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / राज्यपाल के सचिव / सभी

प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

will have

सरकार के अपर सचिव।

#### परिशिष्ट–1

#### <u>आरोप-पत्र</u>

# (1) प्रथम भाग – सरकारी सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ

:--

1. नाम:—

• •

- 2. पदनाम
- 3. जन्म तिथि :---

4. सेवानिवृत्ति की तिथि :---

- 5. सेवा/ संवर्ग का नाम :--
- पद समूह एवं विभाग :--
- 7. वरीयता क्रम/सिविल लिस्ट क्रमांक :--
- 8. वेतनबैंड एवं ग्रेड पे/वेतन स्तर :--
- 9. आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन :--

10. बिहार पेंशन नियमावली के नियम– 43बी के तहत कालबाधित होने की तिथि :–

पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

Wain

## (2) द्वितीय भाग – अवचार या कदाचार के लाछनों का सार

2. श्री ...... द्वारा उपर्युक्त कंडिका– 1 में वर्णित अनियमितता करते हुए विकास योजनाओं के लिए आबंटित राशि को अपने निजी लाभ हेतु कतिपय सहायक अभियंताओं को सीधे उनके नाम से आबंटित किया गया तथा योजना की राशि विमुक्त भी की गयी। श्री ..... .....द्वारा किया गया उक्त कार्य मार्गदर्शिका में विहित प्रावधान के अनुरूप नहीं है तथा उनके द्वारा उक्त अनियमितता के क्रम में बिहार वित्त नियमावली के नियम ...... के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया।

3. उक्त से स्पष्ट है कि श्री .....ने जवाहर रोजगार योजना के मार्गदर्शिका के विपरीत रंगशाला का निर्माण कराया गया, बिहार वित्त नियमावली के नियम ...... का उल्लंघन किया गया। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम--3(1) का उल्लंघन है।

पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

## (3) तुतीय भाग – अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन

श्री ...... के रूप में पदस्थापन काल से संबंधित श्री ...... के रूप में पदस्थापन काल से संबंधित श्री ...... दिनांक ..... दिनांक .... के आलोक में ...... दिनांक XXXXXX दिनांक XXXXXXX द्वारा प्रशासी विभाग (विभाग का नाम) से मंतव्य की मांग की गयी। श्री ..... द्वारा उक्त प्रकरण में ग्रामीण विकास विभाग को अपना स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए इसकी सूचना इस विभाग को उपलब्ध कराई गई।

2. ......विभाग द्वारा समीक्षोपरान्त उनके पत्र संख्या—xxxxxxxx दिनांक xxxxxxxxx द्वारा सूचित किया गया कि श्री ......, तत्कालीन ..... द्वारा जवाहर रोजगार योजना मद की राशि से नाजायज ढंग से अपने एवं अन्य पदाधिकारियों की सुविधा हेतु ...... जिला के तीन अनुमण्डल मुख्यालय 1) xxxxxxxx 2) xxxxxxxx 3) xxxxxxxx में रंगशाला का निर्माण प्रति भवन लगभग 8–9 लाख रूपये की लागत से कराया गया। उक्त रंगशाला के निर्माण में कुल 25.00 लाख रूपये खर्च किया गया।

जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे बेरोजगारों के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन, उनकी आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधाओं का सृजन एवं ग्रामीण जीवन का गुणात्मक विकास करना है। इसके अन्तर्गत आवश्यक संरचनाओं का निर्माण होना चाहिए, जैसे कि सिंचाई का प्रबन्ध, वृक्षारोपण, ग्रामीण सड़क, विद्यालय, चिकित्सालय भवन आदि। चूँकि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रंगशाला के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं था अतएव रंगशाला का निर्माण जनहित में नहीं माना जा सकता है एवं इस अनियमितता के लिए श्री ......

3. श्री ...... के द्वारा अनियमित रूप से बिहार वित्त नियमावली के नियम- xxxxxxxxx में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विकास योजनाओं को अपने विशेष लाभ हेतु सीधे कुछ सहायक अभियंताओं के नाम से राशि आवंटित किया गया एवं योजना राशि सीधे नाम से उक्त सहायक अभियंताओं को विमुक्त किया गया, जिसे संबंधित अभियंता अपने निजी खाते में जमा कर कार्य कराया गया। अगर किसी अभियंता की अकस्मात् मृत्यु हो जाती तो सरकारी राशि समाप्त हो जाती। सरकारी पदाधिकारी सरकार के राशि हेतु पद से जबाबदेह होते है। इस प्रकार का अनियमित आवंटन निम्नलिखित तीन सहायक अभियंताओं को किया गया:--

(i) 豹 xxxxxxxx,

.

- (ii) 豹 xxxxxxxxx
- (iii) 왜 xxxxxxxxx

कार्यपालक अभियंता की अनुपस्थिति में सहायक अभियंताओं के नाम से बड़ी राशि अग्रिम देने का औचित्य नहीं बनता है। मात्र यह कह देना कि कार्यपालक अभियंता की अनुपस्थिति में सहायक अभियंता को अग्रिम दिया गया संतोषजनक उत्तर नहीं माना जा सकता है।

4. उक्त से स्पष्ट है कि श्री xxxxxxx द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के बदले मार्गदर्शिका के विपरीत नजायज ढ़ंग से स्वयं एवं कतिपय अन्य

Warn

पदाधिकारियों के सुविधा हेतु रंगशाला का निर्माण कराया गया, जबकि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रंगशाला निर्माण का कोई प्रावधान नहीं था न ही उक्त निर्माण जनहित में था। श्री XXXXXXXX ने विशेष लाभ हेतु सीधे सहायक अभियंताओं को योजना राशि आवंटित किया गया, जो बिहार वित्त नियमावली के नियम– XXXXXXXX में निहित प्रावधानों का भी उल्लंघन है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मार्गदर्शिका के विपरीत कोई निर्णय नहीं ले सकती है।

5. उक्त से स्पष्ट है कि श्री .....ने जवाहर रोजगार योजना के मार्गदर्शिका के विपरीत रंगशाला का निर्माण कराया गया, बिहार वित्त नियमावली के नियम ...... का उल्लंघन किया गया। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–3(1) का उल्लंघन है।

पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

٠,

# (4) चतुर्थ भाग - (क) दस्तावेजों की सूची

# (जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो)

| क्र0 | संबंधित पत्र/अमिलेख  | पृष्ठों की संख्या  |
|------|--|--------------------|
| 1.   | श्री xxxxxxxxxx, सदस्य विधान सभा के परिवाद पत्र पत्रांक 351<br>दिनांक 16.04.1994 की प्रति। | (कुलxxxxxx पृष्ठ)  |
| 2.   | xxxxxxxxx xxxxxxxxxx विभाग के पत्रांक— xxxxxxxxxx दिनांक<br>xxxxxxxxxx की छायाप्रति।       | (कुल–xxxxxx पृष्ठ) |
| 3.   | श्री xxxxxxxxx के स्पष्टीकरण दिनांक xxxxxxx की छायाप्रति                                   | (कुल–xxxxxx पृष्ठ) |
| 4.   | xxxxxxxxx विभाग के पत्रांक xxxxxxxxx, दिनांक xxxxxxxxx<br>की छायाप्रति।                    | (कुल–xxxxxx पृष्ठ) |
| 5.   | जवाहर रोजगार योजना के मार्गदर्शिका की छायाप्रति।   | (कुल–xxxxxx पृष्ठ) |
| 6.   | बिहार वित्त नियमावली के नियम- xxxxxxxxx की छायाप्रति।                                      | (कुल–xxxxxx पृष्ठ) |

# (ख) साक्षियों की सूची

- 1. (नाम एवं पदनाम) .....
- 2. (नाम एवं पदनाम) .....
- 3. (नाम एवं पदनाम) .....

Uni,

:

۰.

# पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

#### बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विमाग

#### अधिसूचना

पटना-15, दिनांक- 14-12 - .2017 संख्या -3/एम०-114/2010 15984 / अधिसूचना संख्या 15983 दिनांक <u>14-12-2017</u>का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अँगरेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

सरकार के अपर सचिव।

## **Government of Bihar General Administration Department**

#### **NOTIFICATION**

14-12-2017 Patna-15, dated.

No. 3/M-114/2010GAD. 15983... / In exercise of powers conferred under Rule-31 of the Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time), the Government of Bihar makes the following Regulations :-

1. Title, extent and commencement.-- (1) These Regulations may be called the "Bihar Framing of Articles of Charge against government servants Regulations, 2017."

(2) It shall extend to the whole State of Bihar.

(3) It shall come into force immediately.

2. Framing of articles of charge.--- The disciplinary authority shall record or cause to be recorded the definite and distinct articles of charges under subrule (3) of rule 17 of the Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time).

Drafting of article of charges.—(1) Article of charges shall be in four parts. 3.

(2) In first part, the personal informations of the concerned Government servant shall be recorded.

(3) Second part shall contain the substance of the imputations of misconduct or misbehavior as a definite and distinct articles of charge.

(4) Third part shall contain a statement of the imputations of misconduct or misbehavior in support of each article of charge which shall contain a statement of all relevant facts including any admission or confession made by the government servant.
(5) Fourth part shall contain a list of such document by which, and a list of such witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained.

(6) An imaginary model articles of charge is enclosed as Appendix -1 for example.

**4. Repeal and Savings.-** (1) The Bihar Framing of Articles of Charge against Government Servants Regulations, 2011, notified vide notification no. 322 dated 31.01.2011, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of the powers and under The Bihar Framing of Articles of Charge against Government Servants Regulations, 2011 shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by these regulations as if these regulations were in force on the day on which such things or such action was done or taken.

By the order of the Governor of Bihar (Rajendra Ram)

Additional Secretary to the Government

Memo No.-3/M-114/2010GAD-15983/ Patna-15, Dated 14-12-2017

Copy forwarded to E-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna for publication in the forthcoming issue of Government Gazette.

(Rajendra Ram)

Additional Secretary to the Government

Memo No.-3/M-114/2010GAD-15983/ Patna-15, Dated 14-12-2017

Copy forwarded to All Departments/All Head of the Departments/Secretary to the Governor/All Divisional Commissioner/All District Magistrate for information and necessary action.

(Rajendra Ram) 14/1~/17

(Rajendra Ram)

#### <u>Appendix-I</u> <u>Memo of Article of charges</u>

# (1) First part: - Personal information regarding the concerned Government servant.

| 1.  | Name  | :- |
|-----|---|----|
| 2.  | Designation   | :- |
| 3.  | Date of Birth   | :- |
| 4.  | Date of Retirement  | :- |
| 5.  | Name of Service/Cadre   | :- |
| 6.  | Group of post and Department  | :- |
| 7.  | Gradation serial/Civil list serial  | :- |
| 8.  | Pay band and Grade pay/Pay level  | :- |
| 9.  | Year of allegation and the then place of posting                                  | :- |
| 10. | . The date of being time barred under<br>Rule 43(b) of the Bihar Pension Rules :- |    |

Kori

Name of the Officer and Signature.

# (2) Second part :- The substance of imputation of misbehave or misconduct.

- 1. Sri (Name and designation)....., during his posting as (the then place of posting and post held)..... constructed Rangshalas, instead of the essential infrastructures, at the cost of Rs. 25.00 lacs for the facilities of the officers in the three subdivisions of the District, against prescribed provisions and Directives of Jawahar Rojgar Yojna. There was no provision in the Jawahar Rojgar Yojna to construct Rangshalas and the construction of Rangshala was not in the public interest.
- 2. Sri ...... committed the irregularities as described it in the above para-1 and the fund allotted to the development schemes were allotted directly among the certain Assistant Engineers in their names for his own benefit and the fund of the scheme was also released. The said action of Sri ..... is not in accordance with the prescribed provisions contained in the directives and provisions contained in rules ...... of Bihar Financial Rules have been violated in course of the aforesaid irregularities.
- 3. That from the above, it is obvious that Sri ...... has constructed the Rangshalas against the Directive of Jawahar Rojgar Yojna and has violated the rule ...... of financial Rules. His such conduct violates the Rule 3(i) of Bihar Government Servant Conduct Rules.

and and

Name of the Officer and Signature.

# (3) Third part :- Clarification (Abhikathan) of misbehave or misconduct.

exchequer might have lapsed or lost. The Government servants are responsible by virtue of their posts. Such irregular allotments were related to three Assistant Engineers :-

| (i)   | Sri |
|-------|-----|
| (ii)  | Sri |
| (iii) | Sri |

There is no justification in releasing such huse allotment to Assistant Engineer's in advance in the absence of the Executive Engineer. The plea taken in statement that in the absence of the Executive Engineer, the Assistant Engineer's were given an advance cannot be acceptable or satisfactory reply.

5. From the above, it is obvious that Sri ..... has constructed the Rangshalas against the Directive of Jawahar Rojgar Yojna which is contrary to the provisions laid down in rule ..... of Bihar financial Rules. His, this conduct is violation of rule 3(i) of Bihar Government Servants Conduct Rules.



Name of the Officer and Signature

# (4) Fourth part :- (A) List of Documents by which it is proposed to prove the allegations.

| SI.<br>No. | Concerned letters record   | No. of pages. |
|------------|--|---------------|
| 1.         | Complaint (Pariwad) Xerox copy of letter No. 391<br>dated 16.04.1994 of Sri<br>The Member of Bihar Legislative Assembly. | Total pages.  |
| 2.         | the Xerox copy of department's letter No dated   | Total pages.  |
| 3.         | Xerox copy of explanation dated of<br>Sri  | Total pages.  |
| 4.         | Xerox copy of letter No datedof the  | Total pages.  |
| 5.         | Xerox copy of directive of Jawahar Rojgar Yojna.   | Total pages.  |
| 6.         | Xerox copy of Rule of Bihar Financial<br>Rules.  | Total pages.  |

#### (B) List of witnesses

- 1. (Name and Designation) .....
- 2. (Name and Designation) .....
- 3. (Name and Designation) .....

(hora

٠,

æ.,

Name of the Officer and Signature.